राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] तेरहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का पहला दिवस [संख्या : 1

सोमवार;

22 फरवरी, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 12.51 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, आज चेहरे पर मुस्कान नहीं है।

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम् ।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी ।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।

श्री अध्यक्ष: क्या कह रहे थे?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आज चेहरे पर मुस्कान नहीं है। सीरियस कैसे हैं, हुकुम, आप?

श्री अध्यक्ष: आज सुबह पहले, सबसे पहले यहां पर आप ही के दर्शन हुए हैं।

सचिव।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज एक चर्चा सुनने को मिली कि प्रतिपक्ष के नेता ने आपको इस्तीफा दे दिया है। तो सदन जानना चाहता है कि वस्तुस्थिति क्या है?

सदन पटल पर रखे गये पत्र

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। सचिव। प्लीज। प्लीज।

सचिव विधान सभा : अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(अभिभाषण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक मिनट, एक बात कहनी है। एक सैकंड। अध्यक्ष महोदय, यह सदन..। ...(व्यवधान)... अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखी, उस पर आपत्ति है। मुझे कहना है, निवेदन करना है, अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

सचिव, विधान सभा : अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :-

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1- राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2009,

2- राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2009,

3- राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2009,

4- राजस्थान नगरपालिका विधेयक, 2009,

5- राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2009, एवं

6- राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2009-

श्री अध्यक्ष: (व्यवधान) सिर्फ एक मिनट में समाप्त करें।

व्यवस्था का प्रश्न

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की गोपनीयता

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा के बुलेटिन नं. 2 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण एक गरिमापूर्ण समय है और उस समय अगर हमारी परम्पराओं का हनन हो और नियमों का हनन हो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तो, अध्यक्ष महोदय, चिन्ता की बात है। महामहिम अपना भाषण पढ़ रहे थे, उन्होंने अपना भाषण पूरा पढ़ा नहीं, हस्ताक्षर किये नहीं, टेबल किया नहीं उससे पहले ही उनकी प्रमुख सचिव श्रीमती मीनाक्षीजी हूजा उसी भाषण की प्रति को वहां बैठे-बैठे पढ़ रही थीं। यह गोपनीय दस्तावेज है जब तक सदन की मेज़ पर नहीं रखा जाता और, अध्यक्ष महोदय, उसको उनका पढ़ना, यह हमारा परम्पराओं के प्रतिकूल है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आसन प्रताड़ित करे और सरकार को सचेत भी करे कि कम से कम विधान सभा की प्रक्रिया एवं नियमों के बारे में जानकारी लेकर तो आये। इस तरह की बात दुबारा नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें। आपकी बात नोटिस में आ गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, यह सामान्य प्रकरण नहीं है, यह एक असामान्य प्रक्ररण है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, हमारी परम्परा है कि कैबिनेट अभिभाषण को तैयार करती है, वह राज्यपाल महोदय के पास जाता है। फिर राज्यपाल महोदय के आने के बाद यहां पर वे अभिभाषण पढ़ कर उस पर हस्ताक्षर करके रखते हैं। वह सदन के पटल पर रखने के बाद माननीय सदस्य भी पढ़ सकते हैं और कोई भी पढ़ सकते हैं।

आज इसके विपरीत हुआ है। आज वहां पर सचिव महोदय के पास बैठे हुए राज्यपाल महोदय के सचिवजी वह भाषण जिस प्रकार से राज्यपाल महोदय पढ़ रहे थे उसी प्रकार से एक-एक लाइन के हिसाब से वह भाषण पढ़ रहे थे। हमने उस समय ही आपत्ति की थी, आपकी तरफ इशारा भी किया लेकिन उस समय मैं नहीं चाहता था कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसी प्रकार से बीच में कोई बाधा उपस्थित हो। हम नहीं चाहते थे।

इसलिए ये सदन की जो परम्पराएं हैं और जो गोपनीयता इस डाक्युमेंट की है वह किसी प्रकार से भंग न हो, यह सरकार की भी जिम्मेदारी है और यह हमारी भी जिम्मेदारी है। जो अधिकारी आते हैं उनकी भी जानकारी में रहना चाहिए कि यह सदन है और सदन अपने नियम-परम्पराओं से चलता है उसमें इस प्रकार की हरकत नहीं करनी चाहिए। यह बात कोई हम किसी बात को विशेष महत्व करने के लिए नहीं कह रहे हैं, यह बात इसलिए कर रहे हैं कि अभिभाषण की गोपनीयता भंग होना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसको आप नियमों के अन्तर्गत देखें और इस पर निश्चित रूप से व्यवस्था करें आप।

श्री अध्यक्ष: अध्यादेश। डा. जितेन्द्र सिंह। प्लीज। प्लीज, विराजें। कृपया आप विराजें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, आपने अधिकारियों को ट्रैनिंग दी। आपने एक दिन का समय लगाया, उसका क्या फायदा? अधिकारी तो कुछ उस पढ़ाई को पढ़ ही नहीं पाये, जो आपने भाषण दिया उसको सीख ही नहीं पाये और गोपनीयता भंग हो गयी। तो आपकी उस क्लास का क्या हुआ, अध्यक्ष महोदय?

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अध्यादेश

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से निम्नांकित तीन अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना (झुन्झुनूं) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश संख्या -3),

2- एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश संख्या-4), एवं

3- होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश संख्या- 5)

श्री अध्यक्ष: श्री भरत सिंह।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश संख्या-6) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री परसादी लाल मीणा।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश संख्या-7) सदन की मेज पर रखता हूं।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए राजस्थान के राज्यपाल श्री शीलेन्द्र कुमार सिंह, इस विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री रामनिवास मिर्धा, हरियाणा एवं उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल तथा पंजाब के पूर्व मुख्य मंत्री श्री हरचरण सिंह बरार, आंध्र प्रदेश के

(श्री अध्यक्ष)

मुख्य मंत्री डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु, हरियाणा के पूर्व मुख्य मंत्री राव श्री बीरेन्द्र सिंह, पूर्व विधायक एवं सांसद श्री वृद्धिचन्द जैन, पूर्व सांसद श्री दिनेश चन्द्र स्वामी, इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री चन्दनमल बैद, डा. उजला अरोड़ा, श्री श्रवणलाल, श्री मुंशीलाल महावर और श्री हरिप्रसाद शर्मा तथा इण्डियन आयल कारपोरेशन के सीतापुरा (जयपुर) स्थित डिपो एवं चम्बल नदी, कोटा के बाई पास पर निर्माणाधीन पुल के गिर जाने से हुए हादसों में मारे गये लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

शीलेन्द्र कुमार सिंह, श्री, राज्यपाल, राजस्थान

राजस्थान के राज्यपाल श्री शीलेन्द्र कुमार सिंह का जन्म 24 जनवरी, 1932 को हुआ। आपने एम.ए. तथा एलएल.बी की उपाधियां प्राप्त कीं। आपने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कालेज से फारसी भाषा तथा अंतरराष्ट्रीय विधि का अध्ययन भी किया।

श्री शीलेन्द्र कुमार सिंह 6 सितम्बर, 2007 को राजस्थान के राज्यपाल पद पर आसीन हुए। आपने इस गरिमामय पद की संवैधानिक मर्यादाओं का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए राजस्थान की जनता की सेवा की तथा प्रदेश के विकास में सहयोग प्रदान किया। श्री सिंह सभी सामयिक विषयों पर अपनी बेबाक राय व्यक्त करने के लिए जाने जाते थे। श्री शीलेन्द्र कुमार सिंह 16 दिसम्बर, 2004 से 4 सितम्बर, 2007 तक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे।

कुशल प्रशासक रहे श्री सिंह वर्ष 1954 में भारतीय राजनयिक सेवा में आये तथा वर्ष 1956 से 1959 तक तेहरान में तृतीय सचिव नियुक्त किये गये। विदेश मामलों के विशेषज्ञ रहे श्री सिंह वर्ष 1974 से 1977 तक जोर्डन, लेबनान एवं साइप्रस में, वर्ष 1977 से 1979 तक अफगानिस्तान में, वर्ष 1982 से 1985 तक ऑस्ट्रिया तथा वर्ष 1958 से 1989 तक पाकिस्तान में भारत के राजदूत रहे। विदेश मंत्रालय में विभिन्न पदों के उत्तरदायित्वों का कुशलतापूर्व कि निर्वहन करने वाले श्री सिंह वर्ष 1979 से 1982 तक अतिरिक्त विदेश सचिव रहे। आपको वर्ष 1989 में विदेश सचिव बनाया गया। आप भारत सरकार के प्रवक्ता तथा वाणिज्य मंत्रालय में विदेश व्यापार के निदेशक भी रहे।

बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री सिंह विज्ञान एवं तकनीकी की

(श्री अध्यक्ष)

राष्ट्रीय समिति, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रबन्ध परिषद् के सदस्य रहे। आप योजना आयोग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी सम्बद्ध रहे। शैक्षणिक क्षेत्र में नवाचार के प्रणेता श्री सिंह नई शिक्षा नीति पर गठित समिति तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी रहे। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री सिंह ने आगरा विश्वविद्यालय में इतिहास का अध्यापन किया तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली की शैक्षिक परिषद् के सदस्य भी रहे। विदेश मामलों पर आपके आलेख राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए।

श्री सिंह अनेक सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे। श्री सिंह के निधन से देश ने एक कुशल प्रशासक, दूरदर्शी राजनयिक तथा सच्चा जनसेवक खो दिया है।

श्री शीलेन्द्र कुमार सिंह का दिनांक 1 दिसम्बर, 2009 को निधन हो गया।

रामनिवास मिर्धा, श्री, पूर्व अध्यक्ष

पूर्व विधान सभा अध्यक्ष तथा केन्द्रीय मंत्री श्री रामनिवास मिर्धा का जन्म 24 अगस्त, 1924 को नागौर जिले के कुचेरा ग्राम में हुआ। आपने एम.ए. तथा एलएल.बी की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री रामनिवास मिर्धा पहली, दूसरी तथा तीसरी राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस के विधायक रहे। आप पहली विधान सभा के लिए अक्टूबर, 1953 में हुए उप चुनाव में नागौर (पूर्व), दूसरी विधान सभा में लाडनूं तथा तीसरी विधान सभा में नागौर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। श्री मिर्धा राजस्थान सरकार में नवम्बर, 1954 से अप्रैल, 1957 तक कृषि, सिंचाई तथा यातायात विभाग के मंत्री रहे। आप 25 अप्रैल, 1957 से 3 मई, 1967 तक लगातार दो बार राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। श्री मिर्धा ने अपने सौम्य और शिष्ट व्यवहार से संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विशिष्ट स्थान बनाया। दूसरी विधान सभा में अध्यक्ष पद पर रहते हुए आपने अपनी सामंजस्यता की नीति से पक्ष और प्रतिपक्ष को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। अध्यक्ष पद के दायित्वों के निष्पक्ष और दक्षतापूर्वक निर्वहन के फलस्वरूप आपको तीसरी विधान सभा के लिए अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया। दूसरी पारी में आपने सभी दलों के सहयोग से स्वस्थ संसदीय परम्पराओं का निर्माण करने के साथ ही पूर्व स्थापित परिपाटियों को सुदृढ़ बनाया।

(श्री अध्यक्ष)

सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्री रामनिवास मिर्धा चिन्तक, विचारक और सच्चे जनसेवक थे। आप वर्ष 1967 से 1984 तक चार बार राज्य सभा तथा आठवीं एवं दसवीं लोक सभा के सदस्य रहे। अनुभवी संसदविद् श्री मिर्धा मार्च, 1977 से अप्रैल, 1980 तक राज्यसभा के उप सभापति पद पर आसीन रहे। केन्द्रीय राज्य मंत्री के रूप में आपने कृषि, सिंचाई, परिवहन, गृह, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार और संचार सहित अनेक मंत्रालयों के दायित्वों का निर्वहन किया। श्री मिर्धा वर्ष 1987 से 1989 तक केन्द्रीय मंत्री रहे। आप प्रतिभूति एवं बैंकिंग लेनदेन में अनियमितताओं की जांच हेतु गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष भी रहे।

कला एवं संस्कृति के पोषक श्री मिर्धा ललित कला अकादमी, इंडियन हैरीटेज सोसायटी, दिल्ली अर्बन आर्टस कमीशन तथा राजस्थान संस्थान संघ के अध्यक्ष रहे। आप अनेक युवा एवं खेल संगठनों से भी सम्बद्ध रहे। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री मिर्धा ने अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ, इन्टर पार्लियामेन्ट्री यूनियन द्वारा आयोजित अनेक सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री मिर्धा के आलेख अनेक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। श्री रामनिवास मिर्धा के निधन से देश ने एक विद्वान संसदविद् तथा लोकप्रिय जन नेता खो दिया है।

श्री रामनिवास मिर्धा का निधन दिनांक 29 जनवरी, 2010 को हो गया।

हरचरण सिंह बरार, श्री, पूर्व राज्यपाल, हरियाणा एवं उड़ीसा

हरियाणा एवं उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल तथा पंजाब के पूर्व मुख्य मंत्री श्री हरचरण सिंह बरार का जन्म 21 जनवरी, 1922 को पंजाब के सराय ननगा ग्राम में हुआ। आपने लाहौर के राजकीय महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

श्री हरचरण सिंह बरार फरवरी, 1977 से सितम्बर, 1977 तक उड़ीसा के तथा सितम्बर, 1977 से दिसम्बर, 1979 तक हरियाणा के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। इससे पूर्व श्री बरार वर्ष 1960 एवं 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। आप तीन बार पंजाब विधान सभा के विधायक रहे। श्री बरार 31 अगस्त, 1995 से 21 नवम्बर, 1996 तक पंजाब के मुख्य मंत्री रहे। आप पंजाब सरकार में सिंचाई, ऊर्जा, खेल तथा नागरिक उड्डयन विभागों के राज्य मंत्री भी रहे।

(श्री अध्यक्ष)

कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में कार्यशील रहे श्री बरार अखिल भारतीय बागवानी विकास परिषद् के सभापति तथा 15 वर्षों तक अखिल भारतीय कपास विकास परिषद् एवं अखिल भारतीय कपास सलाहकार बोर्ड के सदस्य रहे। आप भारतीय कपास निगम के निदेशक तथा अखिल भारतीय कृषक फोरम की कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। श्री बरार के निधन से देश में एक कुशल प्रशासक और अनुभवी राजनेता की कमी हो गई है।

श्री हरचरण सिंह बरार का लम्बी बीमारी के बाद दिनांक 6 सितम्बर, 2009 को निधन हो गया।

वाई.एस. राजशेखर रेड्डी, डा. मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी का जन्म 8 जुलाई, 1949 को आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के जम्मल मदगु में हुआ। आपने एम.बी.बी.एस. की उपाधि प्राप्त की तथा तिरुपति के एस.वी. कालेज में हाउस सर्जन रहे।

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश विधान सभा के 6 बार विधायक निर्वाचित हुए। श्री रेड्डी 14 मई, 2004 को आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री पद पर आसीन हुए तथा वर्ष 2009 के आम चुनावों के बाद पुन: मुख्य मंत्री बने। मुख्य मंत्री के रूप में आपने आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया तथा समाज के दलित एवं उपेक्षित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित रहे। प्रगतिशील नेता डा. रेड्डी ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

डा. रेड्डी वर्ष 1981 से 1983 तक आंध्र प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास, उत्पाद शुल्क तथा शिक्षा विभाग के मंत्री रहे। आप 1999 से 2004 तक आंध्र प्रदेश विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। डा. राजशेखर रेड्डी नौंवी से बारहवीं लोकसभा तक चार बार कुडप्पा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहे।

चौदह हजार किलोमीटर की पद यात्रा करने वाले ऊर्जावान राजनेता डा. रेड्डी वर्ष 1975 से 1978 तक जिला युवा कांग्रेस कुडप्पा के सचिव रहे। आप दो बार आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे।

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी का हवाई दुर्घटना में दिनांक 2 सितम्बर, 2009 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

ज्योति बसु, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु का जन्म 8 जुलाई, 1941 को कलकत्ता में हुआ। आपने प्रेसीडेन्सी कालेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात् आप विधि के उच्च अध्ययन के लिए लंदन चले गये।

श्री ज्योति बसु स्वतंत्रता से पूर्व वर्ष 1946 में पहली बार बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता के पश्चात् आप वर्ष 1952 से 1996 तक 11 बार पश्चिम बंगाल विधान सभा के विधायक निर्वाचित हुए। अपने दीर्घ राजनीतिक जीवन में आप वर्ष 1957 से 1967 तक प्रतिपक्ष के नेता तथा वर्ष 1967 तथा 1969 में संयुक्त मोर्चा सरकार में उप मुख्य मंत्री रहे। आप 21 जून, 1977 से 6 नवम्बर, 2000 तक लगातार 23 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री पद पर आसीन रहे। श्री बसु ने भूमि सुधारों की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए 10 लाख भूमिहीन किसानों को जमीदारों और सरकारी कब्जे वाली जमीनों का मालिकाना हक दिलवाकर दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। आपने वर्ष 2000 में स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति से सन्यास ले लिया। श्री बसु भारतीय राजनीतिक इतिहास में सबसे लम्बे समय तक मुख्य मंत्री के रूप में दी गई सेवाओं के लिए जाने जाएंगे।

श्री ज्योति बसु का दिनांक 17 जनवरी, 2010 को निधन हो गया।

निधन के बाद भी मानव सेवा में योगदान करने की दृष्टि से श्री बसु ने वर्ष 2003 में ही अपनी देहदान की घोषणा कर दी थी । उन्होंने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था कि ''मैं नहीं जानता कि मेरे इस बूढे शरीर के अंग प्रत्यारोपण के योग्य रहेंगे भी या नहीं लेकिन मेरा विश्वास है कि यह शरीर चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों तथा शोधकर्ताओं के जरूर काम आएगा।'' श्री बसु के निधन के बाद उनकी इच्छानुसार उनका शरीर राज्य के एस.एस.के.एम. अस्पताल के अनाटोमी विभाग को सौंप दिया गया।

बीरेन्द्र सिंह, राव श्री, पूर्व मुख्य मंत्री, हरियाणा

हरियाणा के पूर्व मुख्य मंत्री राव श्री बीरेन्द्र सिंह का जन्म 20 फरवरी, 1921 को महेन्द्रगढ़ जिले के गांव नंगल पठानी में हुआ। आपने दिल्ली के सैंट स्टीफन्स कालेज से बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

राव श्री बीरेन्द्र सिंह वर्ष 1954 से 1966 तक संयुक्त पंजाब विधान

(श्री अध्यक्ष)

परिषद् तथा वर्ष 1967 से 1971 तक हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे। आप 23 मार्च, 1967 से 21 नवम्बर, 1967 तक हरियाणा के मुख्य मंत्री पद पर आसीन रहे। श्री सिंह 1956 में पंजाब सरकार में उप मंत्री तथा वर्ष 1957 से 1961 तक राजस्व, सिंचाई, विद्युत और परिवहन विभाग के मंत्री रहे। आप वर्ष 1967 में हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष तथा वर्ष 1968 से 1971 तक हरियाणा विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे। श्री सिंह पांचवी, सातवीं, आठवीं और नौंवी लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप वर्ष 1980 से 1984 तक केन्द्र सरकार में कृषि, सिंचाई, ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं सहकारिता मंत्री रहे। आठवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आपको दिसम्बर, 1984 में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया।

भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी रहे श्री सिंह वर्ष 1967 में विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक रहे। आप राव तुलसी राम कालेज, नई दिल्ली, महिला डिग्री कालेज, रेवाड़ी और राव बीरेन्द्र सिंह शिक्षक प्रशिक्षण कालेज, रेवाड़ी के संस्थापक भी रहे। अनेक धर्मार्थ एवं शिक्षा ट्रस्टों के अध्यक्ष और ट्रस्टी रहे श्री सिंह अनेक खेल संगठनों से भी सम्बद्ध रहे।

राव श्री बीरेन्द्र सिंह का दिनांक 30 सितम्बर, 2009 को निधन हो गया।

वृद्धिचन्द जैन, श्री, पूर्व सांसद

पूर्व विधायक एवं सांसद श्री वृद्धिचन्द जैन का जन्म 4 जुलाई, 1920 को बाड़मेर में हुआ। आपने बी.कॉम. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री वृद्धिचन्द जैन चौथी, पांचवीं, छठी तथा ग्यारहवीं विधान सभा में बाड़मेर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप जन लेखा समिति, राजकीय उपक्रम समिति तथा नियम समिति के सदस्य रहे। श्री जैन सातवीं तथा आठवीं लोक सभा में बाड़मेर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद रहे। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप रेलवे सलाहकार समिति तथा योजना सलाहकार समिति सहित अनेक समितियों के सदस्य रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप वर्ष 1959 में बाड़मेर नगरपालिका के सदस्य तथा वर्ष 1959 से 1964 तक जिला परिषद्, बाड़मेर के जिला प्रमुख रहे। आप जिला विकास समिति, जिला अकाल सलाहकार समिति के सदस्य

(श्री अध्यक्ष)

तथा बाड़मेर जिला नशाबंदी समिति के अध्यक्ष भी रहे। प्रारम्भ से ही कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री जैन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे।

पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न आन्दोलनों में सक्रिय रहे श्री जैन ने वर्ष 1942 में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में भाग लिया। आप प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बद्ध रहे। श्री जैन ने सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों के निर्माण तथा उच्च शक्ति के दूरदर्शन एवं रेडियो स्टेशनों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज सेवा में रूचि रखने वाले श्री जैन 15 वर्षों तक बाड़मेर जिला भारत सेवक के समाज तथा बाड़मेर नगर होम्योपैथिक अस्पताल के 20 वर्षों तक अध्यक्ष रहे।

श्री वृद्धिचन्द जैन का दिनांक 13 जनवरी, 2010 को निधन हो गया।

दिनेश चन्द्र स्वामी, श्री, पूर्व सांसद

पूर्व सांसद श्री दिनेश चन्द्र स्वामी का जन्म 14 जनवरी, 1936 को जयपुर में हुआ। आपने अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र तथा लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर तथा एल.एल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री दिनेश चन्द्र स्वामी वर्ष 1976 में राज्य सभा के लिए राजस्थान से सांसद निर्वाचित हुए। श्री स्वामी अपने सार्वजनिक जीवन में राज्य के महाधिवक्ता तथा वर्ष 1970 से 1973 तक जयपुर नगर परिषद् के सदस्य रहे। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री स्वामी राजस्थान विश्वविद्यालय की सीनेट तथा सिंडीकेट के सदस्य भी रहे। अनेक खेल संगठनों से सम्बद्ध रहे श्री स्वामी वर्ष 1963 से 1966 तक राजस्थान विश्वविद्यालय खेल बोर्ड, वर्ष 1969 से 1972 तक राजस्थान राज्य खेल परिषद् तथा अखिल भारतीय खेल परिषद् के सदस्य रहे। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय खेल परिषद् के सभापति रहते हुए कई सेमीनारों का आयोजन किया। श्री स्वामी वर्ष 1973 से 1977 तक जयपुर बार एसोसियेशन के प्रेसीडेंट भी रहे। मुसलिम हाई स्कूल, जयपुर की संचालन समिति के सदस्य रहे श्री स्वामी छात्रों, कामगारों, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे।

श्री स्वामी के 'कांग्रेस विचारधारा' से जुड़े विषय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आलेख प्रकाशित हुए। आपने 'द ईस्टर्न पीपल' राजनीतिक साप्ताहिक का प्रकाशन तथा बार एसोसियेशन द्वारा प्रकाशित दो स्मारिकाओं का सम्पादन भी किया।

(श्री अध्यक्ष)

श्री दिनेश चन्द्र स्वामी का दिनांक 9 सितम्बर, 2009 को निधन हो गया।

चन्दनमल बैद, श्री, पूर्व मंत्री

पूर्व मंत्री श्री चन्दनमल बैद का जन्म 27 अक्टूबर, 1922 को चूरू के सरदारशहर में हुआ। आपने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से एम.ए., एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री बैद वर्ष 1952 में पहली राजस्थान विधान सभा के लिए हुए आम चुनावों में सरदारशहर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद आप दूसरी, तीसरी और पांचवी विधान सभा में भी इसी निर्वाचन क्षेत्र से तथा सातवीं, नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं विधान सभा में तारानगर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए।

श्री बैद की वित्त संबंधी मामलों में गहरी पकड़ होने के कारण आपको वर्ष 1953 में उप मंत्री के रूप में विधि, न्याय एवं निर्वाचन विभाग के साथ ही वित्त विभाग का दायित्व भी सौंपा गया। वर्ष 1972 में आपको मंत्री के रूप में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राजकीय उपक्रम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आबकारी विभाग के साथ-साथ वित्त, आयोजना और करारोपण विभाग का दायित्व भी सौंपा गया। इसके बाद भी आपने वर्ष 1973-77, 1981-82 तथा 1998-2000 में वित्त मंत्री के दायित्वों का निर्वहन किया। वित्त मंत्री के रूप में आपने विधान सभा में सर्वाधिक 9 बार राज्य का बजट प्रस्तुत किया। आपने मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सिंचित क्षेत्र विकास, उपनिवेशन आदि विभागों का दायित्व भी बखूबी निभाया।

प्रारम्भ से ही कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री बैद वर्ष 1978 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लम्बे समय तक सदस्य रहे। आप बीकानेर राज्य प्रजा परिषद् के मंत्री तथा कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे।

शैक्षणिक प्रवृतियों में विशेष रुचि रखने वाले श्री बैद विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ें रहे। आपने सिंगापुर, मलेशिया, फ्रांस, सोवियत रूस, इंग्लैण्ड, स्विट्जरलैण्ड सहित अनेक देशों की यात्रा की। श्री बैद के निधन से राज्य में आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ तथा पुरानी पीढ़ी के एक कद्दावर नेता की कमी हो गई है।

(श्री अध्यक्ष)

श्री चन्दनमल बैद का लम्बी बीमारी के बाद दिनांक 20 फरवरी, 2010 को निधन हो गया।

उजला अरोड़ा, डा., पूर्व राज्य मंत्री

पूर्व राज्य मंत्री एवं विधायक डा. उजला अरोड़ा का जन्म 2 दिसम्बर, 1933 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ। अध्ययन में रुचि रखने वाली डा. अरोड़ा ने अनेक विषयों में एम.ए. तथा एलएल.बी., डिप्लोमा इन लेबर लॉ, साहित्यरत्न एवं आयुर्वेदरत्न की उपाधियां प्राप्त कीं।

डा. उजला अरोड़ा छठी से दसवीं राजस्थान विधान सभा तक लगातार 5 बार जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहीं। आप छठी विधान सभा में जनता पार्टी तथा सातवीं से दसवीं विधान सभा तक भारतीय जनता पार्टी की विधायक निर्वाचित हुई। दसवीं विधान सभा के कार्यकाल में आप जुलाई, 1998 से नवम्बर, 1998 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, भाषा तथा भाषाई अल्पसंख्यक विभाग की राज्य मंत्री रहीं। आपके पास संस्कृत शिक्षा विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी रहा। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप पुस्तकालय समिति तथा प्राक्कलन समिति 'ख' की सभापति तथा याचिका समिति एवं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की सदस्य रहीं।

डा. उजला अरोड़ा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर, टेलीफोन सलाहकार समिति, राजस्थान, राज्य अल्प बचत परामर्शदात्री समिति, आयुर्वेद प्रदेश सलाहकार समिति, राजस्थान शासन हिन्दी विधायी समिति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंच की राजस्थान इकाई की सदस्य रहीं। आप वर्ष 1978 से 1982 तक नशाबंदी मण्डल, जयपुर की अध्यक्ष तथा भारती मंदिर की कुलपति रहीं। कमजोर तथा मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहीं डा, उजला अरोड़ा मजदूर संघ की प्रादेशिक सदस्य रहीं। आपने विभिन्न आन्दोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई तथा जेल यात्राएं भी कीं। आप वर्ष 1980 से 1983 तक भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष तथा केन्द्रीय महिला मोर्चा की सदस्य रहीं।

सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु प्रयासरत रहीं डा. उजला अरोड़ा अस्पृश्यता निवारण समिति की संयोजक रहीं। आप गुलाबी नगर विचार मंच, जयपुर की संस्थापक भी रहीं। काव्य में रुचि रखने वाली डा. उजला अरोड़ा ने अनेक मुशायरों तथा काव्य गोष्ठियों का आयोजन किया। 'मेरी धरती के गीत' आपका प्रकाशित काव्य संग्रह है।

(श्री अध्यक्ष)

डा. उजला अरोड़ा का दिनांक 5 अक्टूबर, 2009 को निधन हो गया।

श्रवण लाल, श्री पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री श्रवणलाल का जन्म 8 अगस्त, 1935 को हिण्डौन तहसील के महु इब्राहिमपुर में हुआ। आपने उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री श्रवण लाल तीसरी, चौथी तथा छठी राजस्थान विधान सभा के हिण्डौन निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। आप तीसरी एवं चौथी विधान सभा में जनसंघ से तथा छठी विधान सभा में जनता पार्टी से सम्बद्ध रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री श्रवण लाल का दिनांक 5 नवम्बर, 2009 को निधन हो गया।

मुंशीलाल महावर, श्री, पूर्व राज्य मंत्री

पूर्व राज्य मंत्री तथा विधायक श्री मुंशीलाल महावर का जन्म 7 जून, 1939 को दौसा में हुआ। आपने अर्थशास्त्र में एम.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री मुंशीलाल महावर पांचवी राजस्थान विधान सभा में बस्सी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। श्री महावर अक्टूबर, 1973 से अप्रैल, 1977 तक राजस्थान सरकार के कृषि एवं पशुपालन सहित अनेक विभागों के राज्य मंत्री रहे। आपके पास सितम्बर, 1974 से अप्रैल, 1977 तक भेड़ एवं ऊन तथा स्टेट मोटर गैराज विभागों का स्वतंत्र प्रभार भी रहा।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप वर्ष 1960 से 1961 तक राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड के मंत्री, वर्ष 1968 से 1969 तक भूमि विकास बैंक लिमिटेड के शाखा सचिव तथा वर्ष 1965 में प्लानिंग फोरम, राजकीय कालेज, दौसा के सचिव रहे। श्री महावर कांग्रेस सेवादल, दौसा जिला कांग्रेस समिति तथा प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य रहे। आप राजस्थान दलित सेवा संघ के संगठन मंत्री भी रहे।

श्री मुंशीलाल महावर का दिनांक 3 जनवरी, 2010 को निधन हो गया।

हरिप्रसाद शर्मा, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री हरिप्रसाद शर्मा का जन्म दिनांक 8 सितम्बर, 1927

(श्री अध्यक्ष)

को हुआ। आपने मिडल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री हरिप्रसाद शर्मा तीसरी राजस्थान विधान सभा में पाटन निर्वाचन क्षेत्र से जनसंघ के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिये सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री शर्मा अपने सार्वजनिक जीवन में नगरपालिका, लाखेरी के 6 वर्ष तक अध्यक्ष, सीमेन्ट वर्क्स बहुधन्धी, लाखेरी के उप सभापति तथा कामगार संघ के 4 वर्ष तक उपाध्यक्ष रहे। आप श्री गांधी विद्या मन्दिर के अध्यक्ष भी रहे। खेतिहर मजदूरों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे श्री शर्मा अनेक संगठनों से सम्बद्ध थे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा का दिनांक 23 जनवरी, 2010 को निधन हो गया।

मैं, अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

सीतापुरा (जयपुर) स्थित इंडियन आयल कारपोरेशन के तेल डिपो अग्निकाण्ड के मृतक

दिनांक 29 अक्टूबर, 2010 को सीतापुरा (जयपुर) स्थित इण्डियन आयल कारपोरेशन के तेल डिपो के 11 टैंकरों में लगी भीषण आग से 11 लोगों की मौत हो गई तथा 132 लोग घायल हो गये। लगभग 10 दिन तक धधकती रही इस आग से सम्पत्ति का भी भारी नुकसान हुआ।

चम्बल नदी, कोटा बाइपास निर्माणाधीन पुल हादसे के मृतक

दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को चम्बल नदी, कोटा के बाइपास पर निर्माणाधीन पुल के अचानक गिर जाने से हुए हादसे में पुल पर कार्य कर रहे लोग नीचे दब गये। इस हृदय विदारक दुर्घटना में 48 लोगों की मौत हो गई तथा 12 व्यक्ति घायल हो गये।

मैं, इन हादसों में मारे गये व्यक्तियों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूं तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(श्री अध्यक्ष)

(तत्पश्चात् सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 23.02.2010 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.25 बजे मंगलवार, दिनांक 23.02.2010 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति)

माननीय सदस्यगण,

1. तेरहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र में आपको सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।

2. हमारे लिए यह संतोष का विषय है कि हाल ही में स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए। प्रदेशवासियों ने एक बार पुन: लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था व निष्ठा और राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति अपना समर्थन प्रकट किया है। इन संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों के रूप में युवाओं, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व, विशेष रूप से स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं में, महिलाओं को दी गयी 50 प्रतिशत भागीदारी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, जिससे शहरी एवं ग्रामीण विकास को नई दिशा मिल सकेगी।

3. मुझे यह कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नये राजस्थान के निर्माण का संकल्प लिया है। विगत एक वर्ष में राज्य सरकार ने राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु आम आदमी को बनाकर उसके उत्थान के लिए विशेष प्रयत्न किए हैं जिनके सार्थक परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। समयबद्ध तरीके से विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पांच राजीव गांधी मिशन यथा-राजीव गांधी जनसंख्या एवं स्वास्थ्य मिशन, राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा मिशन, राजीव गांधी कृषि एवं पशुपालन मिशन, राजीव गांधी शिक्षा एवं साक्षरता मिशन तथा राजीव गांधी जल विकास एवं संरक्षण मिशन का पुनर्गठन कर संचालित करने का निर्णय लिया है।

4. राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी कोशिश रही है कि विगत वर्षों के दौरान रही खामियों को ध्यान में रखते हुए नई सोच के साथ प्रदेश के संतुलित और सतत विकास की प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढाया जावे। इसके लिए ठोस वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबंध को प्राथमिकता दी गई है।

5. राज्य सरकार ने कृषकों के कल्याण, श्रमिकों की समृद्धि, महिला सशक्तिकरण, युवक-युवतियों को शिक्षा एवं रोजगार के साथ विकास के अवसर उपलब्ध कराने, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक गरीब एवं कमजोर

वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के साथ-साथ सुदृढ़ ढांचागत विकास के लिये महती कार्य-योजना लागू कर क्रियान्वित की है।

6. प्रदेश के ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिये अभिनव पहल की गई है। राजस्थान में प्रथम बार कृषि नीति बनाई जा रही है। गांवों के लिये मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया गया है। सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामवासियों को आबादी पट्टा प्रदान किये जाने की व्यवस्था का प्रावधान किया जा रहा है। काश्तकारों के हित के लिये कृषि भूमि अधिग्रहण की नई नीति बनाई जा रही है। फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई के लिये विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता से देने की स्कीम बनाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौके पर ही काश्तकारों की समस्याओं का समाधान करने हेतु अप्रैल, 2010 से पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व अभियान चलाया जायेगा। ग्रामीण विकास के कुशल प्रबन्धन के उद्देश्य से ग्रामीण अभियांत्रिक सेवा के गठन का निर्णय लिया गया है।

7. मुझे यह कहते हुये खुशी है कि वर्ष 2008-09 में राजस्थान को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

8. राज्य सरकार ने शहरों के सुनियोजित विकास के लिये प्रत्येक शहर का सिटी डवलपमेंट प्लान बनाने का निर्णय लिया है। शहरी नवीनीकरण योजना के लिये 400 करोड़ रुपये का कोष एवं शहरी निकायों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य-योजना बनाने का भी निर्णय लिया गया है। शहरी निकायों के निर्वाचित मेयर/अध्यक्षों को पर्याप्त शक्ति प्रदान करने पर गहन चिन्तन व मनन किया जा रहा है। भिवाड़ी, खुशखेड़ा व नीमराना काम्पलेक्स को समग्र रूप से विकसित किया जायेगा एवं इनके लिये Urban Development Authority बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के उद्देश्य से 26 जनवरी, 2010 से पूरे प्रदेश में ''प्रशासन शहरों के संग अभियान'' चलाया जा रहा है।

9. जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिये 31 मार्च, 2010 तक कार्य-योजना बना ली जायेगी। जयपुर शहर में मेट्रो रेल परियोजना के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनाई गई है।

10. मुझे यह कहते हुये खुशी है कि राज्य सरकार ने प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी कुशल वित्तीय प्रबन्धन कर प्रदेश के विकास की गति को निरन्तर प्रवाहवान बनाये रखा है। आज का राजस्थान देश के तेजी से विकसित हो रहे राज्यों में अग्रणी राज्य के रूप में शुमार हो गया है। वाणिज्यिक राजस्व की दृष्टि से जनवरी, 2010 तक 8 हजार 180 करोड़ 60 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया, जो इससे पिछले वर्ष के मुकाबले 11.33 प्रतिशत अधिक है।

11. पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क से इस वित्तीय वर्ष में जनवरी, 2010 तक 1072 करोड़ 91 लाख रुपये की आय हुई। इसी अवधि में भूमि कर से 123 करोड़ 52 लाख रुपये की आय हुई। विकलांगों एवं महिलाओं के पक्ष में पंजीकृत होने वाले अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों पर चार प्रतिशत मुद्रांक शुल्क की सुविधा दी गई। जिसके कारण दो लाख 15 हजार 836 दस्तावेज महिलाओं के पक्ष में पंजीकृत हुए। मुद्रांक शुल्क 8 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने तथा महिलाओं के लिए 4 प्रतिशत करने से आमजन को 367 करोड़ 68 लाख रुपये मुद्रांक शुल्क का लाभ मिला।

12. मुद्रांक विभाग एवं राजस्व विभाग के अभिलेखों के पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए NLRMP योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर कनेक्टिविटी की योजना बनाई जा रही है। योजना के प्रथम चरण में बाड़मेर, जोधपुर, भीलवाड़ा एवं टोंक जिलों का चयन किया गया है।

13. अवैध शराब के उत्पादन एवं व्यवसाय में लिप्त परिवारों के पुनर्वास के लिए ''नवजीवन योजना'' प्रारम्भ की गई है। स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से संचालित इस योजना में प्रभावित परिवारों का चयन कर उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस वर्ष 2 हजार व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार देने का अनुमान है।

14. मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि योजना आयोग ने वर्ष 2009-10 के लिए राज्य की वार्षिक योजना 17 हजार 3 सौ 22 करोड़ की मंजूर की थी, जिसे राज्य के वित्तीय संसाधनों के मद्देनजर परिवर्तित बजट में 18 हजार 6 सौ 34 करोड़ 80 लाख रुपये की गयी।

15. प्रदेश में मानसून वर्ष 2009 में पर्याप्त वर्षा के अभाव को देखते हुए विशेष गिरदावरी करवाकर खराबे के आधार पर 27 जिलों की 191 तहसीलों के 33 हजार 464 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर भू-राजस्व वसूली एवं आबियाना शुल्क स्थगित किया गया। इसके अलावा अल्पकालीन सहकारी ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया गया। राहत गतिविधियों की समीक्षा एवं निर्देशन के लिए 5 टास्क फोर्स गठित किये गये हैं एवं प्रभावित जिलों को 276 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। जयपुर में तेल डिपो अग्निकांड तथा चम्बल नदी पुल हादसे के प्रभावितों को क्रमश: 65.74 लाख तथा 10 लाख रुपये की राशि संबंधित जिला कलक्टरों को आबंटित की गई।

16. राज्य सरकार विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राज्य की कुल उत्पादन क्षमता वर्तमान में 7732 मेगावाट है जिसमें 3847 मेगावाट राज्य क्षेत्र से, 973 मेगावाट साझेदारी परियोजनाओं से, 1878 मेगावाट केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से तथा 899 मेगावाट क्षमता पवन एवं बायोमास परियोजनाओं से एवं 135 मेगावाट क्षमता निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से उत्पादन सम्मिलित है।

17. प्रदेश को बिजली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से राज्य क्षेत्र में 1320-1320 मेगावाट क्षमता के सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह सूरतगढ़ एवं छबड़ा में स्थापित करने का प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही 1320 मेगावाट क्षमता का सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह बांसवाड़ा में निजी क्षेत्र में स्थापित करने की भी कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित की जाने वाली 4780 मेगावाट की 6 उत्पादन परियोजनाओं को भी सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2009-10 में सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह की छठी इकाई (250 मेगावाट) कोटा सुपर तापीय विद्युत गृह की सातवीं इकाई (195 मेगावाट) तथा छबड़ा तापीय विद्युत गृह की प्रथम इकाई (250 मेगावाट) को कमीशन किया जाकर विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है। छबड़ा विद्युत तापीय गृह की द्वितीय इकाई (250 मेगावाट) को मार्च, 2010 में कमीशन कर विद्युत उत्पादन प्रारम्भ करना सम्भावित है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में 1860 मेगावाट क्षमता की राज्य क्षेत्र में स्थापित की जा रही विद्युत उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में मैसर्स राजवेस्ट पावर लिमिटेड द्वारा 1080 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजना स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है तथा 135 मेगावाट की प्रथम इकाई से राज्य को विद्युत मिल रही है।

18. राज्य में उपलब्ध लिग्नाइट के भण्डारों पर आधारित बरसिंगसर, कपूरड़ी एवं जालिपा में लगाये गये विद्युत संयंत्रों से उत्पादन शीघ्र शुरू होने की सम्भावना है। राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड़ द्वारा 31.5 मेगावाट क्षमता का नवीन ऊर्जा संयंत्र लगाने का कार्य प्रगति पर है।

19. गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में जनवरी, 2010 तक 137 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है। बायोमास से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु ''नई बायोमास

नीति'' तैयार कर ली गई है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही राज्य में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को भी बढ़ावा देने हेतु 76 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

20. राज्य सरकार किसानों को पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराने हेतु भी प्रतिबद्ध है। चालू वर्ष में प्रदेश में मानसून की कम वर्षा होने तथा जल विद्युत उत्पादन में कमी होने के उपरान्त भी राज्य सरकार द्वारा खरीफ की फसल हेतु किसानों को एक हजार 557 करोड़ रुपये की अतिरिक्त विद्युत खरीद कर उपलब्ध कराई गई। केन्द्रीय विद्युत उत्पादन गृहों से राज्य को आबंटित पूरी बिजली नहीं मिलने पर भी राज्य सरकार ने अन्य स्रोतों से 3200 करोड़ रुपये के अतिरिक्त विद्युत क्रय अनुबंध कर किसानों के लिए रबी की फसल हेतु समुचित विद्युत उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है। जल संरक्षण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बूंद-बूंद/फव्वारा सिंचाई पद्धति का उपयोग करने वाले किसानों को ''प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन देने की योजना'' भी प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2009-10 में राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी ''ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना'' का कार्य प्रगति पर है तथा जनवरी, 2010 तक 33 के.वी. के 137 ग्रिड सब-स्टेशन बनाकर चालू कर दिये गये हैं, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी।

21. प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 2009-10 में 220 के.वी. के 3 तथा 132 के.वी. के 8 ग्रिड सब-स्टेशन बनाकर चालू कर दिये गये हैं तथा 400 के.वी. के 3, 220 के.वी. के 2 तथा 132 के.वी. के 7 ग्रिड सब-स्टेशन मार्च, 2010 तक बनाकर चालू करना सम्भावित है। राज्य में प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रथम बार 765 के.वी. के दो सब-स्टेशन अन्ता (बारां) तथा फागी (जयपुर) में स्वीकृत किये गये हैं। ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना'' के अन्तर्गत स्वीकृत सभी योजनाओं पर कार्य चल रहा है। चालू वर्ष में जनवरी, 2010 तक 3232 गांवों का सघन विद्युतीकरण और 634 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया जाकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 1 लाख 95 हजार 685 परिवारों को घरेलू कनेक्शन भी जारी किये जा चुके हैं।

22. राज्य सरकार जल संसाधन क्षेत्र को अपनी प्राथमिकताओं में शुमार करते हुए वर्ष 2009-10 में इसके लिए 921 करोड़ 77 लाख रुपये का प्रावधान और एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा है। 10 लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। त्वरित

सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 7 लघु सिंचाई परियोजनाएं भारत सरकार से स्वीकृत हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत 27 करोड़ 79 लाख रुपये में केन्द्रीय सहायता (प्रथम किश्त) 14 करोड़ 17 लाख रुपये प्राप्त हो चुके हैं। जापान बैंक फार इंटरनेशनल कारपोरेशन की ओर से वित्त पोषित 612 करोड़ 29 लाख रुपये की राजस्थान लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना के तहत 2005-06 से दिसम्बर, 2008 तक कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। गत एक वर्ष के दौरान 328 उप परियोजनाओं का चयन कर 314 में सर्वे, इन्वेस्टिगेटिंग एण्ड डिजाइन के लिए निविदा स्वीकृत कर कार्य शुरू कराया जा चुका है। राजस्थान फीडर की मरम्मत के लिए पंजाब स्थित भाग की एक परियोजना भारत सरकार से मंजूर कराई जा चुकी है जिस पर 901 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इसी तरह राजस्थान स्थित भाग के लिए 478 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार कर स्वीकृति के लिए केन्द्रीय जल आयोग को भेजी जा चुकी है।

23. राज्य सरकार पेयजल कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। भू-जल स्तर में कमी और खाद्यान्न उत्पादन के लिए नहरी क्षेत्रों पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए राज्य में कृषि एवं उद्यान विकास की नवीन तकनीक को अपनाने की दिशा में ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान दिसम्बर, 2009 तक 18 हजार 896 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के नालों का निर्माण कराया गया। चंबल कमाण्ड क्षेत्र में 27 वितरिकाओं के जीर्णोद्धार का कार्य हाथ में लिया गया है। चंबल सिंचित क्षेत्र विकास, कोटा की ओर से किसानों को मिनी किट, उन्नत एवं नवीनतम किस्म के बीज, फसल प्रदर्शन, जिप्सम, पौधा संरक्षण रसायन, पौधा संरक्षण उपकरण, कृषि यंत्र तथा बायो फर्टिलाइजर किट वितरण से हजारों किसानों को लाभान्वित किया गया है। अगले वित्त वर्ष में 57 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के नाले एवं अन्य संबंधित गतिविधियां पूर्ण करने का प्रस्ताव है।

24. प्रदेश में कम वर्षा तथा भू-जल के अधिक दोहन के फलस्वरूप भू-जल स्तर में गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए सतही स्रोतों यथा बनास नदी, चम्बल नदी, इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा नहर इत्यादि पर आधारित वृहद् पेयजल परियोजनाओं का प्राथमिकता पर क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया। अब तक 67 वृहद् पेयजल योजनाएं, जिनकी अनुमानित लागत 12 हजार 884 करोड़ रुपये की है, स्वीकृत की गई है। इनमें से 12 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं एवं वर्तमान में 44 पेयजल परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। अब तक 20 कस्बे, 1766 ग्राम व 610 ढाणियों को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया

गया है। माह दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2009 तक 1071 अनुसूचित जाति एवं जनजाति हैबीटेशन्स में तथा 2591 स्कूलों को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया गया।

25. राज्य सरकार ने समय रहते ग्रीष्म संवर्द्धन योजनाएं बनाकर वर्ष 2009 की गर्मियों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 415 नलकूप, 2722 हैण्ड पम्प लगाकर जलापूर्ति सुनिश्चित की। जहां ऐसा सम्भव नहीं हुआ वहां जल परिवहन को प्राथमिकता दी गई। पेय जलापूर्ति हेतु ''आकस्मिक योजना'' को लागू किया गया है। जिसके प्रथम चरण में माह सितम्बर, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 157 करोड़ 79 लाख रुपये व शहरी क्षेत्रों में 112 करोड़ 24 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है, जिसके अन्तर्गत 1324 नये नलकूप एवं 6853 नये हैण्ड पम्पों को स्थापित करने का प्रावधान है। वर्ष 2009-10 में क्रमश: 7042 नये हैण्ड पम्पों तथा 1004 नये नलकूपों का निर्माण कार्य करवाया गया है, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। वर्तमान में कुल 30 कस्बों/शहरों में 2981 टैंकर ट्रिप प्रतिदिन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1071 ग्राम/ढाणियों में 1892 टैंकर ट्रिप प्रतिदिन द्वारा जल परिवहन किया जा रहा है। राज्य में 35वां हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान दिनांक 1 फरवरी, 2009 से प्रारम्भ किया जाकर अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख 34 हजार 364 एवं शहरी क्षेत्रों में 39 हजार 280 हैण्ड पम्पों की मरम्मत की गयी तथा मरम्मत कार्य निरन्तर जारी हैं।

26. ''भारत निर्माण'' के तहत केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि के सहयोग से वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2009-10 के माह दिसम्बर, 2009 तक 35 हजार 9 सौ 39 ग्राम/ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। माह दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2009 तक 3 सौ 24 अलाभान्वित गांव व ढाणियों सहित कुल 6576 गांव व ढाणियों को पूर्ण लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में ''सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान'' वर्ष 2000 में प्रारम्भ किया गया तथा इस कार्यक्रम में अब तक 24 लाख 53 हजार 525 निजी शौचालयों एवं स्कूलों में 51 हजार 84 शौचालयों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में 9 हजार 364 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

27. भू-जल स्तर में कमी के प्रति राज्य सरकार गम्भीर है और जल संसाधन के विकास एवं प्रबंधन के क्षेत्र में विशेष प्रयास कर रही है। 2 लाख 82 हजार खुले कुओं से भू-जल पुनर्भरण कार्य प्रारम्भ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के लिए 2 करोड़

19 लाख 39 हजार रुपये का प्रावधान है जिसके तहत कृषकों की सहभागिता के आधार पर भू-जल प्रबंधन, संरक्षण, पुनर्भरण एवं दोहन के कार्य करवाये जायेंगे।

28. आवागमन के साधनों को सुगम बनाने के लिये सड़क विकास एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2009 में नवम्बर तक 34 हजार 482 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 10 हजार 608 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया। सामान्य क्षेत्र में 500 तथा जनजाति एवं मरू क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी वाले इन गांवों को सड़कों से जोड़ने पर 4 हजार 846 करोड़ रुपये व्यय किये गये। नरेगा योजना में 250 से 499 तक की आबादी वाले 2 हजार 776 गांवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ा जा रहा है।

29. प्रत्येक जिले में 100 किलोमीटर लम्बाई के राज्य राजमार्ग एवं जिला सड़कों के मैटल स्तर पर सुदृढ़ीकरण एवं दोनों ओर वृक्षारोपण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। राज्य में 15 हजार किलोमीटर लम्बाई के राजमार्गों एवं जिला सड़कों का आगामी 5 वर्षों में सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण करने की योजना तैयार की गई है। इसके तहत वर्ष 2009-10 में एक हजार किलोमीटर लम्बाई में कार्य करवाये जायेंगे। प्रदेश के 1378 किलोमीटर लम्बाई के राष्ट्रीय उच्चमार्गों तथा 1521 किलोमीटर लम्बाई के राज्य राजमार्गों को चौड़ा एवं सुदृढ़ीकरण की ग्यारह-ग्यारह परियोजनाएं बी.ओ.टी. अथवा जन सहभागिता के आधार पर क्रियान्वित करने के लिए चिन्हित की गई हैं। जयपुर-कोटपूतली गुड़गांव के 6 लेन मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण क्षेत्रों की 2 हजार 846 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण की योजना प्रारम्भ की गई है।

30. राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं में नियंत्रण एवं कमी लाने के लिए गम्भीर एवं सतत प्रयास कर रही है। इसके लिए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजना बनाई गई है। चालक लाइसेंस की प्रक्रिया में गुणवत्ता लाने के साथ कड़े मानदंड निर्धारित किये गये हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर हाइवे पैट्रोलिंग उड़नदस्ते तैनात किये गये हैं।

31. आमजन को सस्ती एवं सुरक्षित परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिये राज्य पथ परिवहन निगम सक्रिय एवं प्रयासरत है। वर्ष 2009-10 में पुरानी एवं नाकारा बसों के स्थान पर 650 नई बसें क्रय करने के साथ ही 62.75 करोड़ किलोमीटर संचालन का लक्ष्य है। नई सेवाओं के तहत जयपुर से सभी सम्भागीय मुख्यालयों को सुपर लग्जरी बसों से जोड़ने की योजना है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल एवं महत्वपूर्ण बड़े शहरों के लिए नई वोल्वो वाहन

संचालित करने के साथ ही ग्राम पंचायतों से तहसील मुख्यालय तक बस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मिनी बसों के संचालन की योजना है। नगरीय ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अन्तर्गत जयपुर एवं अजमेर शहर में नई लो फ्लोर बस सेवाएं संचालित की जायेंगी। रक्षाबंधन पर बालिकाओं एवं महिलाओं को नि:शुल्क यात्रा सुविधा दी गई।

32. औद्यौगिक विकास के साथ निवेश वृद्धि राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। राज्य में उद्योग, सेवा एवं आधारभूत संरचना क्षेत्रों में निवेश को गति प्रदान करने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया है। उद्यमियों को उचित दर पर वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार, वित्त निगम एवं सिडबी के बीच एम.ओ.यू. किया गया है। राजस्थान वित्त निगम ने वर्ष 2009-10 के दौरान ब्याज दरों में कटौती कर लघु एवं मध्यम उद्योगों को राहत पहुंचाई है।

33. प्रदेश में 322 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं। वर्तमान में 6 क्षेत्र पालरा (अजमेर), करनी विस्तार (बीकानेर), पलसाना (सीकर), बालोतरा (चतुर्थ), रूपनगढ़, कालड़वा विस्तार (उदयपुर) विकासाधीन हैं। रीको ने औद्योगिक विकास एवं रखरखाव पर दिसम्बर, 2009 तक 150 करोड़ 58 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

34. औद्योगिकी विकास में वृद्धि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जापानी संस्था जैट्रो के साथ एम.ओ.यू. किया गया है। इस क्षेत्र में 2 इकाइयों में उत्पादन शुरू हो गया है तथा 9 इकाइयों का निर्माण जारी है। अभी तक 19 इकाइयों को 263.70 एकड़ भूमि आबंटित की जा चुकी है। दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट के तहत राज्य सरकार और दिल्ली-मुम्बई कौरिडोर डवलपमेंट कारपोरेशन के मध्य करार हुआ है।

35. राज्य में दिसम्बर, 2009 तक 9 हजार 400 लघु एवं दस्तकारी इकाइयों का पंजीयन कर मेमोरेण्डम जारी किया गया, जिसमें 1136 करोड़ 84 लाख रुपये का निवेश और 55 हजार 361 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत 1 हजार 256 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया तथा गृह उद्योग योजना में 4 हजार 34 महिलाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा 12 हजार 855 हस्तशिल्पियों को आर्टीजन परिचय-पत्र तथा 5 हजार 970 को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये गये। प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में एक हजार 500 इकाइयों को ऋण स्वीकृत कराया गया।

36. बुनकरों की बीमारी के उपचार के लिए दिसम्बर तक नई स्वास्थ्य बीमा योजना में 2 हजार 853 बुनकरों का बीमा कराया गया। इसी तरह महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना से 578 बुनकरों को लाभान्वित किया गया। नमक श्रमिक कल्याण योजना के तहत 3 हजार 500 श्रमिकों को पहचान-पत्र दिये गये।

37. औद्योगिक विकास, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, ग्रामीण दस्तकारी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए क्लस्टर डवलपमेंट एप्रोच के तहत 149 क्लस्टर चिन्हित कर 33 क्लस्टर्स का विकास शुरू किया गया। खादी क्षेत्र में एक हजार 531 को रोजगार देने के साथ ''खादी एक नई पहल योजना'' के तहत 8 क्लस्टर्स विकसित किये गये।

38. राज्य में प्राय: औद्योगिक शांति रही। राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए पूर्णरूपेण सजग एवं प्रतिबद्ध है। भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को प्राथमिकता से लागू करने की कार्यवाही की जा रही है। अधिनियम को प्रभावी करने के लिए राज्य के नियम 30 अप्रैल, 2009 को अधिसूचित कर दिए गए हैं तथा कल्याण मण्डल का गठन कर दिया गया है। ''विश्वकर्मा अंशदायी पेशन योजना'' को राज्य के 30 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

39. रोजगार विभाग में 30 नवम्बर, 2009 को लगभग 8 लाख 32 हजार रोजगार चाहने के इच्छुक बेरोजगार आशार्थी रोजगार कार्यालयों की संजीव पंजिका पर उपलब्ध थे। वर्ष 2009-10 में 31 दिसम्बर, 2009 तक 20 रोजगार सहायता शिविर आयोजित किये गये, जिनमें 27 हजार 459 बेरोजगारों को रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया।

40. ''अक्षत योजना, 2007'' के अन्तर्गत माह 1 जुलाई, 2007 से नवम्बर, 2009 तक 60 हजार 946 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत कर लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य सरकार के निर्णयानुसार ''अक्षत योजना, 2007'' को संशोधित कर अक्टूबर, 2009 से ''अक्षत कौशल योजना, 2009'' प्रारम्भ कर दी गई है।

41. राजस्थान आजीविका मिशन द्वारा विभिन्न प्रकार की तकनीकी दक्षताएं बढ़ाने के लिए 16 मुख्य प्रवृत्तियों में 169 दक्षता कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विविध नवाचार भी किये जा

रहे हैं। राज्य के 7 सम्भागीय मुख्यालयों पर **ग्रामीण रोजगार केन्द्रों** (REX) की स्थापना की जा रही है।

42. विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित आजीविका संवर्द्धन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। टोंक में डेयरी क्लस्टर, बीकानेर में भेड़ क्लस्टर, बांसवाड़ा में मछली क्लस्टर और उदयपुर में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग आधारित क्लस्टर विकसित किये जा रहे हैं। टोंक जिले में 10 हजार महिलाओं को वित्तीय साक्षरता पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें से 50 प्रतिशत महिलायें अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। कंजर समुदाय के आजीविका संवर्द्धन हेतु झालावाड़ जिले में विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

43. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का विकास एवं सुदृढ़ीकरण किया गया है। इस वर्ष 537 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये। 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 55 शैयाओं की वृद्धि की गई। जिला चिकित्सालयों में 9 आई.सी.यू., 18 ट्रोमा यूनिट, 18 पुनर्वास केन्द्र एवं 24 बर्न यूनिट स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 5000 अतिरिक्त ए.एन.एम. के पद संविदा पर सृजित कर, 2853 अतिरिक्त ए.एन.एम. को संविदा पर नियुक्ति दी गई। आमजन को सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु जन औषधि केन्द्र का शुभारम्भ किया गया है।

44. राज्य में 1 जनवरी, 2009 से ''मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना'' को लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत राज्य के समस्त राजकीय चिकित्सालयों, सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को पूर्णतया नि:शुल्क इन्डोर/आउटडोर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजनान्तर्गत 31 दिसम्बर, 2009 तक कुल 24 लाख 5 हजार रोगियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई। जिसमें से 21 लाख 47 हजार ओ.पी.डी. में एवं 2 लाख 58 हजार आई.पी.डी. रोगी थे। इस अवधि में योजनान्तर्गत कुल 23 करोड़ 81 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है। पुरानी बी.पी.एल. सूची से जिन लोगों के नाम नई सूची में नहीं आये हैं, उनको स्टेट बी.पी.एल. मानते हुए इस योजना के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश में 1 मार्च, 2009 से बी.पी.एल. प्रसूताओं को प्रथम संस्थागत प्रसव पर 5 किलो देशी घी प्रदान करने की योजना प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2009 तक 14 हजार 348 प्रसूताओं को देशी घी हेतु कूपन जारी किये जा चुके हैं।

45. ''धनवन्तरी एम्बुलेन्स योजना'' के अन्तर्गत दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2009 तक 1 लाख 99 हजार 503 लोगों को समय पर चिकित्सा संस्थान पर पहुंचा कर जीवन रक्षा की गई। 114 '108' एम्बुलेन्स का क्रय कर क्रियाशील किया गया। गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से 25 राजीव गांधी ग्रामीण मोबाइल मेडिकल इकाइयों का संचालन कर ग्रामीण जनता को नि:शुल्क जांच, इलाज एवं दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

46. राज्य के मेडिकल कालेजों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की 197 सीटें, सुपर स्पेशियलिटी की 17 सीटें एवं बी.डी.एस. की 10 सीटों की वृद्धि की जा रही है। मेडिकल कालेज, जोधपुर में स्वपोषित आधार पर फिजियोथैरेपी महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। मेडिकल कालेज, बीकानेर के अधीन हृदय रोगियों के उपचार हेतु ''हल्दीराम कार्डियोलोजी एवं कार्डियोथोरेसिक सेन्टर'' की स्थापना की गई है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में ''स्टेम सैल प्रयोगशाला'' प्रारम्भ की जा रही है।

47. राज्य में आयुर्वेद एवं अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास एवं विस्तार के सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। गत एक वर्ष में 378 ग्रामीण आयुर्वेदिक चिकित्सकों, 47 होम्योपैथिक चिकित्सकों तथा 20 यूनानी चिकित्सकों के अलावा 557 आयुर्वेद नर्स एवं कम्पाउण्डरों को नियुक्ति प्रदान की गई।

48. राज्य सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं महिला साक्षरता में वृद्धि के विशेष प्रयास किये हैं। राज्य में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब तक 2 हजार 712 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आई.सी.टी. परियोजना संचालित की जा रही हैं।

49. प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। वरिष्ठ अध्यापक, प्रथम श्रेणी के 57 तथा तृतीय श्रेणी के 2 हजार 916 पदों की भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का आयोजन कर परिणाम घोषित कर दिया है।

50. उच्च शिक्षा के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान राजकीय महाविद्यालयों में 61 नवीन सैक्शन विज्ञान, वाणिज्य एवं कला विषयों के स्वीकृत करने के साथ ही प्रत्येक वर्ग में 100 सीटें की गई जिससे 25 हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुए। इसके अलावा 11 महाविद्यालयों में विज्ञान तथा 3 महाविद्यालयों में वाणिज्य संकाय राजकीय क्षेत्र

में शुरू किये गये। इस वित्तीय वर्ष के दौरान 3 नवीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के साथ ही विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों को छठे वेतनमान का लाभ दिया गया।

51. राज्य में तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए गत एक वर्ष में अनेक प्रभावकारी कदम उठाये गये हैं। गत वर्ष 6 नये राजकीय पॉलीटैक्निक महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई। बांसवाड़ा में एक राजकीय अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोला गया है जिसमें शैक्षिक सत्र 2010-2011 में विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकेगा। इसी अवधि में प्रदेश में 19 नये अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं 37 एम.बी.ए. संस्थान खोलने की अनुमति दी गई। दक्ष जनशक्ति की मांग की पूर्ति के लिए राजस्थान व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन किया गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में 4 उच्चस्तरीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लक्ष्य के तहत आई.आई.टी. के लिए जोधपुर एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर किशनगढ़ में स्थल का चयन किया जा चुका है।

52. विद्यार्थियों को पौष्टिक एवं गरम भोजन उपलब्ध कराने की मिड-डे मील योजना वर्तमान में 81 हजार 436 सरकारी एवं अनुदानित विद्यालयों तथा शिक्षा गारंटी केन्द्रों में संचालित की जा रही है जिससे कक्षा एक से आठ तक के 80 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है। भोजन बनाने के लिए प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी की लागत राशि में पर्याप्त वृद्धि की गई है। प्रदेश में 22 स्थानों पर केन्द्रीयकृत रसोईघर का निर्माण पूरा कराने के साथ ही विद्यालयों में पक्का रसोईघर बनाने के लिए 403 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इससे 67 हजार 200 विद्यालयों में से 75 प्रतिशत विद्यालयों में पक्के रसोईघर निर्मित हो गये हैं।

53. कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में दिसम्बर तक 8 लाख 99 हजार 889 व्यक्तियों को वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन का लाभ दिया गया। परित्यक्ताओं को पेंशन का लाभ देने के लिए नियमों में संशोधन करने के साथ ही इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तजन पेंशन योजना प्रदेश में लागू की गई। विकलांग कल्याण पर दिसम्बर, 2009 तक 5 करोड़ 43 लाख 69 हजार

रुपये व्यय किये गये। मूक बधिर, नेत्रहीन एवं विमंदितों के लिए संचालित विशेष विद्यालयों के छात्रावासों के लिए मेस भत्ता बढ़ाकर एक हजार रुपये किया गया है। विकलांग विवाह परिचय योजना में 262 नि:शक्तजनों को लाभान्वित करने के साथ ही अपाहिज, अपंग एवं नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए पेंशन नियमों का सरलीकरण किया गया।

54. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक उन्नयन की योजना के तहत एक लाख 23 हजार 442 विद्यार्थियों को 55 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई गई। राज्य में पृथक से अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया गया है। गाड़िया लुहारों को आवास निर्माण के लिए 25 हजार से बढ़ाकर सहायता राशि 35 हजार रुपये की गई। बी.पी.एल. परिवारों की कन्याओं के विवाह पर कन्यादान की सहयोग योजना के तहत 3 हजार 34 कन्याओं को 2 करोड़ 65 लाख 65 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई। पालनहार योजना के तहत 27 हजार 601 तथा अनुप्रति योजना में 323 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

55. आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं की दरों में 7 हजार 340 रुपये प्रतिवर्ष को बढ़ाकर 10 हजार 600 रुपये किया गया।

56. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जनजाति परिवारों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उन्नयन की अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। कक्षा दस एवं बारहवीं में 65 प्रतिशत या अधिक अंक लाने वाली 146 छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराने के अलावा सहरिया क्षेत्र के 11 हजार 89 छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पोशाकें वितरित की गई, इसके अलावा 2 हजार 406 जनजाति के व्यक्तियों को कम्प्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण दिया गया। वन अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं में प्रस्तुत 59 हजार 900 दावों में से 58 हजार 748 दावों का निस्तारण किया जा चुका है।

57. महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए सात सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया गया है। राज्य में दिसम्बर, 2009 तक 1 लाख 90 हजार स्वयं सहायता समूह गठित करने के साथ ही 1 लाख 47 हजार समूहों को 322 करोड़ 32 लाख रुपये के ऋण दिलवाये गये हैं। इन समूहों के उत्पादों को विपणन सुविधा देने के लिए अमृता मार्केटिंग सोसायटी का गठन किया गया है। राज्य में महिला संरक्षण

अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम) लागू कर घरेलू हिंसा से व्यथित महिलाओं के संरक्षण और उचित राहत दिलाये जाने हेतु ठोस कदम उठाये गये हैं।

58. राज्य में इस वर्ष 26 नई बाल विकास परियोजनायें स्वीकृत करने के साथ ही 6 हजार 543 आंगनबाड़ी केन्द्रो एवं 3 हजार 523 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये। प्रदेश में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों से प्रतिदिन 39 लाख बच्चों एवं माताओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। पूरक पोषाहार की इकाई लागत बढ़ाने के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं साथिन को सेवा उपरांत आर्थिक सहायता देने के लिए आंगनबाड़ी कल्याण कोष गठित किया गया है जिसमें राज्य सरकार ने अभी तक 3 करोड़ 47 लाख रुपये का अंशदान दिया है।

59. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना में 88 लाख 74 हजार से अधिक जॉब कार्ड जारी कर 62 लाख 15 हजार परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। राज्य में गत एक वर्ष में 41 करोड़ 87 लाख 14 हजार मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया। इन्दिरा आवास योजना के तहत 221 करोड़ 34 लाख रुपये व्यय कर 50 हजार 659 नवीन आवासों का निर्माण तथा एक हजार 610 कच्चे मकानों को पक्के मकानों में परिवर्तित किया गया। एकीकृत बंजर प्रबन्धन कार्यक्रम (IWMP) के तहत 32 जिलों की 127 पंचायत समितियों में 162 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। जिनकी लागत 1294 करोड़ 94 लाख आयेगी, इस योजना में 9 लाख 25 हजार 599 हैक्टेयर भूमि को 7 वर्षीय परियोजना अवधि में उपचारित किया जायेगा।

60. पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। इसके तहत 10 नई पंचायत समितियों का सृजन करने के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को 16 विषयों के अधिकार दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। जन प्रतिनिधियों के मानदेय एवं दैनिक भत्ते में वृद्धि करने के साथ ही 249 पंचायत समितियों एवं 9 हजार 168 ग्राम पंचायतों में नरेगा योजना में राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण प्रति इकाई क्रमश: 25 लाख एवं 10 लाख रुपये की लागत से करवाया जा रहा है।

61. चालू वर्ष के दौरान 42 हजार 213 ग्रामीण परिवारों को भूखण्ड

आबंटन एवं पट्टे जारी कर लाभान्वित किया गया। इसमें 9 हजार 881 बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क पट्टे दिये गये। 8 हजार 71 योग्य ग्रामीण परिवारों को रियायती दरों पर भूखण्ड आबंटन करने के साथ ही 14 हजार 978 पुराने भवनों एवं 9 हजार 283 विनियमितिकरण के पट्टे जारी किये गये।

62. ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यों के लिए 246 करोड़ रुपये की राशि पंचायती राज संस्थाओं को बारहवें वित्त आयोग के तहत आबंटित की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं के लिए राज्य वित्त आयोग तृतीय के तहत 100 करोड़ रुपये का आबंटन हुआ। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के तहत 12 चयनित जिलों में समेकित आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए 321 करोड़ 42 लाख रुपये पंचायतों/नगर निकायों को हस्तांतरित किये गये। इसी तरह निबन्ध राशि योजना में 16 करोड़ रुपये पंचायतों को दिये गये।

63. जहां मानसून में वर्षा की कमी के परिणामस्वरूप खरीफ-2009 में खड़ी फसलों को नुकसान हुआ वहां रबी मौसम में भी अपेक्षाकृत कम बुवाई हुई। इस स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा उन्न्त किस्म के बीजों की उपलब्धता, बुवाई पूर्व एवं खड़ी फसल में समय पर उर्वरक के उपयोग हेतु उर्वरक की पर्याप्त व्यवस्था की गयी। रबी पूर्व कृषि ज्ञान और आदान शिविरों का आयोजन किया गया जिससे किसान अपने खेत से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके।

64. वर्ष 2009-10 हेतु राज्य में 474 प्रगतिशील कृषकों का चयन किया जाकर 408 कृषकों को पंचायत समिति, 64 कृषकों को जिला स्तर एवं 2 कृषकों को राज्य स्तर के पुरस्कार दिये जा रहे हैं, जिसमें पंचायत समिति, जिला स्तर एवं राज्य स्तर के पुरस्कार की राशि क्रमश: 10,000, 25,000 तथा 50,000 रुपये होगी। कृषि विभाग द्वारा राज्य के प्रगतिशील कृषकों को इतने वृहद स्तर पर सम्मानित करने का यह पहला अवसर है।

65. कृषि क्षेत्र में इस वर्ष जल के कुशलतम उपयोग व बचत को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2009-10 में सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत 8044 हैक्टर में बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्रों एवं मिनी स्प्रिंकलर की स्थापना की जा चुकी है। ग्रीन हाउस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाउस स्थापित किये जाने पर लघु/सीमान्त कृषकों को 75 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2009-10 में 62 ग्रीन हाउस स्थापित किये जा चुके हैं।

66. फसलों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए उन्नत बीज के उपयोग का अहम महत्व है। वर्ष 2009-10 में लगभग 20 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई कम होने के बावजूद 14.35 लाख क्विन्टल उन्नत बीज वितरित किये गये।

67. राज्य में वर्ष 2009 के दौरान 11 हजार 372 सहकारी संस्थाओं के सभी स्तर की इकाइयों में चुनाव करवा कर निर्वाचित प्रतिनिधियों को कमान सौंपी गई है। गत वर्ष दिसम्बर तक 2914 करोड़ रुपये के अल्पकालीन तथा 172 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरित किये गये। महिलाओं को सहकारिता के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हिस्सा बनाने की दिशा में रिद्धी-सिद्धी योजना लाई गयी है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य में 203 मिनी उपहार सुपर मार्केट खोले जा चुके हैं।

68. समग्र सहकारी विकास कार्यक्रम आठ जिलों में पूर्ण हो गया है तथा वर्तमान में 13 जिलों में चलाया जा रहा है। एन.सी.डी.सी. योजना में 99 तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 132 गोदामों का निर्माण करवाया जा रहा है।

69. आमजन को बेहतर सुविधाएं देने तथा राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शेष रहे 52 तहसील मुख्यालयों में उपखण्ड कार्यालय स्थापित किये गये हैं। इसके अलावा 559 मजरों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। प्रदेश में जमाबंदियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। इस वर्ष टोंक, भीलवाड़ा, जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों को भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया।

70. राज्य सरकार ने गत वर्ष एक हजार 111 आबंटियों को 6 हजार 121 हैक्टेयर भूमि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में आबंटित की। किसानों की मांग को देखते हुए बकाया किस्तों के भुगतान पर समय-समय पर ब्याज माफी की सुविधा दी गई। एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई। इससे 4 हजार 772 काश्तकारों को 171 लाख 78 हजार रुपये ब्याज की छूट मिली।

71. वक्फ संपत्तियों के विकास एवं संरक्षण की नीति बनाने एवं वक्फ अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए राज्य में वक्फ विकास परिषद् का गठन किया गया है।

72. कारगिल पैकेज के तहत शहीद सैनिकों एवं अर्द्धसैनिक बलों के

कार्मिकों के माता-पिता के खाते में जमा 1.50 लाख रुपये की राशि को माता पिता के निधन के बाद उनके द्वारा नामित व्यक्ति को देने की व्यवस्था की गई है। सीकर एवं झुंझुनूं जिलों में युद्ध-विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

73. राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से दिसम्बर, 2009 तक औसतन 15 लाख 19 हजार किलोग्राम प्रतिदिन दुग्ध संकलित कर औसतन 13 लाख 67 हजार लीटर प्रतिदिन दुग्ध विपणन किया गया। दुग्ध पेटे दुग्ध उत्पादकों को रुपये 319 प्रति किलोग्राम की औसतन दर से 743 करोड़ 24 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

74. शहरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर व अल्प आय वर्ग के परिवारों को स्वयं का आवास सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से ''एफोर्डेबल आवास नीति'' राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है। राज्य के विभिन्न शहरों में ढांचागत सुधार हेतु सरकार द्वारा यह प्रयास किये जायेंगे कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से अधिक से अधिक योजनाएं चालू की जावें। इस हेतु निजी क्षेत्र से प्रस्ताव आमंत्रित किये जा रहे हैं।

75. राष्ट्रीय राजमार्ग सीकर रोड एवं दिल्ली रोड के मध्य एक्सप्रेस हाइवे पर ग्राम चौंप के पास जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर शैक्षणिक गतिविधियों के नियोजित विकास हेतु ''नालेज सिटी-नार्थ'' बनाये जाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह ग्राम चित्तौड़ा, तहसील फागी में जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर शैक्षणिक गतिविधियों के नियोजित विकास हेतु ''नालेज सिटी-दक्षिण'' बनाये जाने की कार्रवाई की जा रही है। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र के समीप चल रही विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों मेडिकल कालेज एवं अन्य महाविद्यालयों तथा रीजन के विस्तार पश्चात इस क्षेत्र की भावी जन आवश्यकताओं हेतु ग्राम अचरोल स्थित प्राधिकरण की करीब 150 हैक्टेयर भूमि पर ''साइंस टेक सिटी'' बनाये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

76. राज्य में कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ सूचना तंत्र को मजबूत बनाने के ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। वर्ष 2009 के दौरान राज्य में विभिन्न स्थानों पर साम्प्रदायिक घटनाओं एवं तनाव की स्थिति के दौरान पुलिस एवं प्रशासन की प्रभावी कार्यवाही से स्थिति को सामान्य एवं नियंत्रित करने में सफलता पाई।

77. राज्य में वर्ष 2009 के दौरान भा.द.सं. (IPC) की विभिन्न धाराओं में एक लाख 66 हजार 565 प्रकरण दर्ज हुए। महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम के लिए 19 महिला थाने, 12 महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र तथा 39 पारिवारिक परामर्श केन्द्र कार्यरत हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित अत्याचारों के दर्ज अभियोगों की जांच के लिए 18 जिलों में 21 प्रकोष्ठ कार्यरत हैं जिनका प्रभारी उप अधीक्षक स्तर का अधिकारी है। माह दिसम्बर, 2009 तक पुलिस ने वांछित 204 घोषित अपराधी, 924 भगोड़े एवं 8 हजार 360 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के जवानों के लिये हुड़को की मदद से दस हजार आवासों का निर्माण 451 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से करवाया जा रहा है। अब तक 9 हजार 720 आवासों का निर्माण शुरू करने के साथ ही 4 हजार 634 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

78. राजस्थान देशी-विदेशी पर्यटकों का आकर्षण का केन्द्र रहा है। वर्ष 2009 में माह जनवरी से दिसम्बर, 2009 तक 255.59 लाख देशी एवं 10.73 लाख विदेशी पर्यटकों ने प्रदेश का भ्रमण किया। ट्रेन ट्यूरिज्म में राजस्थान की सिरमौर स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए पैलेस आन व्हील्स की तर्ज पर ''रायल राजस्थान आन व्हील्स'' नाम से दूसरी पर्यटक रेल शुरू की जा चुकी है। पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान को राष्ट्रीय पर्यटन के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी का अवार्ड 24 फरवरी, 2009 को प्रदान किया।

79. केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत 34 करोड़ 80 लाख 14 हजार रुपये के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इसके तहत मचकुंड-धौलपुर, हवामहल फेज-2, जंतर-मंतर फेज-2, नाहरगढ़ किला-जयपुर, आमेर किले का संरक्षण एवं विकास कार्य तथा अजमेर-पुष्कर मेगा प्रोजेक्ट, सालगांव-माउण्ट आबू एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान-भरतपुर के कार्य कराये जाएंगे। फ्लड लाइट सर्किट के तहत 28 महत्वपूर्ण स्थलों के अधिकांश कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। इसी तरह मेवाड़ काम्पलेक्स के कार्य पूर्ण होने के साथ वेणेश्वर धाम के विकास का कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर में खेजड़ली एवं खींचन तथा बारां में सोरसन के विकास की परियोजना रिपोर्ट तैयार करवा कर कार्य प्रारम्भ किये जा रहे हैं। जयपुर में दी ग्रेट इण्डियन ट्रेवल बाजार-2009 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह मार्ट भारत में किसी भी राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित पहला अखिल भारतीय ट्रेवल मार्ट है।

80. मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी-फारसी शोध संस्थान, टोंक

के हस्तलिखित ग्रन्थों के डिजिटलाइजेशन का कार्य जारी है, अब तक 6 लाख पृष्ठों का डिजिटलाइजेशन हो चुका है।

81. अम्बेडकर पीठ, ग्राम मूण्डला, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर के लिए वर्ष 2009-10 में कुल 2 करोड़ 23 लाख 80 हजार रुपये स्वीकृत हैं, जिनमें भवन निर्माण पर 1 करोड़ 96 लाख रुपये तथा प्रशासनिक व्यय हेतु 27 लाख 80 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

82. राज्य में मंदिरों की पुरातात्विक धरोहर को सुरक्षित रखने और मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए वर्ष 2009-10 में 5 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान है।

83. राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष राज्य शासन से प्रबन्धित मंदिरों एवं संस्थाओं की अलाभकारी सम्पत्तियों को दीर्घकालीन लीज पर दिये जाने का निर्णय लिया गया है। मंदिरों की परिसंपत्तियों की देखभाल एवं मेलों की व्यवस्था के लिए उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में निगरानी समितियां गठित की गई हैं। श्री नाथद्वारा मंदिर मण्डल एवं श्री सांवलियाजी मंदिर मण्डल की ओर से भी श्रद्धालुओं की सुविधाओं में विस्तार के लिए क्रमश: 10 करोड़ एवं 4 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं।

84. राज्य सरकार ने बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण, कालाबाजारी एवं जमाखोरी रोकने के कड़े उपाय करते हुए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। एक तरफ गेहूं का अतिरिक्त कोटा प्राप्त कर बाजार में उपलब्ध कराया गया वहीं दूसरी ओर सस्ती दरों पर आटा, दाल एवं गेहूं उपभोक्ताओं तक पहुंचाया। चीनी एवं दाल की स्टाक सीमा और बिक्री अवधि निर्धारित कर कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी पर रोक लगाने के साथ ही ''शुद्ध के लिये युद्ध अभियान'' शुरू कर आमजन को विशुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के ठोस प्रयास किये गये।

85. भारत सरकार से अप्रैल, 2009 में राज्य को आबंटित 32 हजार 180 मैट्रिक टन गेहूं की मात्रा बढ़ाकर 64 हजार 360 मैट्रिक टन कराई गई। प्रदेश में अकाल के मद्देनजर अक्टूबर, 2009 से मार्च, 2010 तक की अवधि के लिए 25 हजार 354 मैट्रिक टन गेहूं प्राप्त कर अकाल प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाया गया। छह माह की अवधि के लिए कुल 1 लाख 52 हजार 124 मैट्रिक टन गेहूं का अतिरिक्त आबंटन कराया गया। खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत अक्टूबर, 2009 से मार्च, 2010 की अवधि के लिए 1 लाख 73 हजार 864

मैट्रिक टन गेहूं एवं 78 मैट्रिक टन चावल का सम्भागीय मुख्यालयों पर आबंटन हुआ। इसी प्रकार खुली बिक्री योजना के तहत 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को आटा उपलब्ध कराया जा रहा है।

86. राज्य में चलाये गये हरित राजस्थान अभियान के तहत वन विभाग ने 3 करोड़ 12 लाख पौधे लगाये। अन्य विभागों एवं संस्थाओं ने अभियान में 1 करोड़ 28 लाख पौधे रोपे। पर्यावरण, वन्य जीव एवं वन संरक्षण के प्रति जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में मानदेय पर एक हजार 'वन मित्र' लगाये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। राज्य में 4 हजार 916 ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियां 7 लाख 80 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वन प्रबन्धन का कार्य कर रही हैं।

87. बाघ रिजर्व क्षेत्रों के प्रबन्धन को सरल, सहायक एवं पारदर्शी बनाने के लिए बाघ संरक्षण फाउण्डेशन की स्थापना की जा रही है। रणथम्भौर, सरिस्का, सवाईमानसिंह एवं कैलादेवी अभ्यारण्यों में वन्य जीवों विशेषत: बाघों के लिए पानी की समस्या के समाधान के लिए वाटर हार्वेस्टिंग परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

88. राज्य में खेलों के व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध विकास के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य क्रीड़ा परिषद के अधीन महिला बास्केटबाल एवं हाकी की क्रमश: जयपुर एवं अजमेर में अकादमी स्थापित की गई है। इसके अलावा बालक छात्रावास, जयपुर तथा स्पोटर्स स्कूल कोठ्यारी (सीकर) के माध्यम से खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान कर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के योग्य बनाया जा रहा है। राज्य में स्टेडियम विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसमें संभाग, जिला तहसील, ब्लाक, ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तर पर खेल सुविधाएं विकसित की जायेंगी। पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीका) के तहत प्रदेश में 869 ग्राम पंचायत एवं 24 ब्लाक स्तर पर पीका खेल केन्द्र खोले गये हैं।

89. ई-गवर्नेंस के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने के लिए सरकारी विभागों के आयोजना बजट का तीन प्रतिशत भाग नागरिक केन्द्रित ई-प्रशासन के लिए सुनिश्चित किया गया है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में 339 नागरिक सेवा केन्द्र कियोस्क प्रारम्भ किये गये हैं। मार्च, 2010 तक ऐसे 1200 केन्द्र तथा आगामी एक वर्ष

के अन्दर सम्पूर्ण प्रदेश में 6 हजार 626 केन्द्र क्रियाशील करने की कार्यवाही की जा रही है। राजकीय विभागों में क्रय पद्धति में पारदर्शिता लाने के उद्देश्यों से ई-क्रय तंत्र लागू किया जा रहा है। आम जनता को सरकारी सुविधाएं एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी 33 जिला एवं सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर टच स्क्रीन कियोस्क लगाये जा चुके हैं।

90. राज्य में उपलब्ध धात्विक एवं अधात्विक खनिजों के विवेकपूर्ण खनन के साथ अवैध खनन रोकने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से संचालित विशेष अभियान द्वारा अवैध खनन रोकने की प्रभावी कार्यवाई की जा रही है।

91. बाड़मेर-सांचोर बेसिन में खोजे गये 480 मिलियन टन खनिज तेल के भण्डारों के दोहन के लिए व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है। बाड़मेर के मंगला क्षेत्र में कच्चे तेल के उत्पादन का शुभारम्भ 29 अगस्त, 2009 को प्रधान मंत्री महोदय द्वारा किया गया।

92. नागौर में स्थित मातासुख-कसनऊ खदान में उपलब्ध खारे पानी के उपयोग के लिए जल परिशोधन संयंत्र लगाया जा रहा है। इसके शुरू होने से जिले के गांवों को 1 करोड़ 30 लाख लीटर पीने योग्य पानी मिल सकेगा।

93. शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने एवं कार्यों के निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों से संशोधित नागरिक चार्टर प्रकाशित करने एवं विभागीय महत्वपूर्ण सूचनाओं का सूचना-पट्ट लगाने के निर्देश दिये गये हैं।

94. राज्य में न्याय प्रशासन को सुदृढ़ आधार देने के लिए गत वर्ष अनेक नये न्यायालय खोले गये। तिजारा (अलवर) तथा शाहपुरा (भीलवाड़ा) में अपर जिला एवं सैशन न्यायालय, नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत 14 विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, जोधपुर में मोटर वाहन अधिनियम संबंधी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तथा जयपुर में बम कांड मुकदमों की सुनवाई के लिए जिला एवं सैशन न्यायालय खोले गये। इसके अलावा 45 ग्राम न्यायालयों की स्थापना भी की गई है। प्रचलित कानूनों की समीक्षा एवं सरलीकरण के लिए महाधिवक्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

95. राज्य सरकार पत्रकारों के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। अधिस्वीकृत पत्रकारों को वर्तमान में मेडिकल डायरी से 2 हजार 500 रुपये

प्रतिवर्ष तक की चिकित्सा हेतु दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त एक लाख रुपये तक की मेडिक्लेम पालिसी लेने पर प्रीमियम राशि का 75 प्रतिशत पुनर्भरण पत्रकार कल्याण कोष से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

96. माननीय सदस्यगण, इस सत्र में निम्न विधेयक विधान सभा के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे :-

1. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2010
2. डा. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) विधेयक, 2010
3. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010
4. राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010
5. पेसेफिक उच्चतर शिक्षा और अनुंसधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2010

97. इसके अतिरिक्त अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयक भी प्रस्तुत किये जायेंगे।

98. इसके अतिरिक्त निम्न वित्तीय कार्य भी सम्पादित किये जायेंगे:-

1. वर्ष 2010-11 के लिये आय-व्ययक अनुमान तथा तत्संबंधी मांगों से सम्बन्धित कार्य।
2. वर्ष 2009-10 के लिये अनुपूरक अनुदान मांगों से सम्बन्धित कार्य।

99. जन आकांक्षाओं की सम्पूर्ति एवं प्रदेश के समग्र विकास में समर्पित भाव से जुट जाने का लक्ष्य लेकर सभी माननीय सदस्य इस सदन में एकत्रित हुए हैं। मेरी सरकार का यही प्रयास होगा कि सभी सदस्यों का जनहित में रचनात्मक सहयोग लेकर राजस्थान के सर्वांगीण विकास और आम आदमी के उत्थान के लिये हम सब मिलजुल कर कार्य करें। मुझे विश्वास है कि इस सदन में होने वाले गहन विचार-विमर्श और मंथन से राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी।

जयहिन्द ।